सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2018/0011

यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 43/2018

1–दीनदयाल पुत्र प्यारे 2– सुरेश पुत्र महाराजसिह जातिगण बाढई निवासीगण दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादीगण

बनाम

1–राजेन्द्र 2–त्रिलोकी 3–ताराचंन्द्र पुत्रगएर ओमप्रकाश 4–सुरेशचन्द्र 5–शिवनारायन 6–रामकुमार 7–बिशनप्रकाश पुत्रगण राजीलाल जातिगण बाढई निवासीगण दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा दुरूस्ती इन्द्राज एव बटवारा काश्त निषेधाज्ञा धारा 88,53 आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *हरवीरसिह एडवोकेट* ..... (वादीगण)
2–श्री नरेन्द्रसिह एडवोकेट.....(प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक 31.07.2019

वादीगणो द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1691, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1859, 1702, 1703, 1704, 1706 स्थित वाके ग्राम दौनारी तहसील सैपऊ के खातेदार काश्तकार प्रभू, प्यारे, दुर्गाप्रसाद एंव रामजीलाल पुत्रगण मुरली थे बन्दौवस्त के दौरान प्रभूदयाल का दैहान्त हो गया बन्दौवसत का इन्द्राज करते समय सम्पूर्ण आराजी का इन्द्राज औमप्रकाष बल्द प्रभूदयाल 1/4 भाग, प्यारे व दुर्गा व रामुजीलाल पिसरान मुरली हिस्सा 3/4 भाग बराबर कौम बाढई खातेदार दर्ज किया गया । भू0 प्रवन्द विभाग द्वारा जमावन्दी तैयार करते समय विवादित भूमि पर ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल हिस्सा 1/4 एंव अमे, दुर्गा व रामुजीलाल पिसरान मुरली हिस्सा 3/4 कौम बाढई साकिन देह हिस्सा बरावर खातेदार दर्ज किया गया इस प्रकार प्यारे के स्थान पर लिपिकीय भूल से अमे लिख दिया गया जिसका ज्ञान प्यारे व उसके वारिसान बादीगण को नही हुआ। दुर्गाप्रसाद का दैहान्त बिना किसी औलाद वारिस के हो गया है उसके वारिसान वादीगण एंव प्रतिवादीगण है उन्हौनी ही दुर्गाप्रसाद का समस्त तर्का प्राप्त किया है। वादीगण अधिकांशतः बाहर रह कर ठेकेदारी का काम करते है। राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने की कोई आवश्यकता नही हुई अब वादीगण ने दिनांक 14.3.2018 को पटवारी हल्का से प्यारेलाल के स्थान पर अपने नाम का नामा0 कराने के लिये कहा तो पटवारी हल्का

रिकॉर्ड देखकर बताया कि वर्तमान में जमावन्दी में ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल व दुर्गाप्रसाद व रामजीलाल के नामा करा इन्द्राज है। प्यारे के नाम का इन्द्राज नही है तब वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन कराया और दिनांक 15.03.2018 को नकल प्राप्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया तब दिनांक 21.03.2018 को नकल प्राप्त हुई नकल प्राप्त होते ही यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।वादीगण अपने पूर्व पुरूष प्यारेलाल के कानूनी एंव जायज वारिसान है प्यारेलाल का समस्त तर्का वादीगण ने ही प्राप्त किया है एंव वादी के पूर्व पुरूष दुर्गाप्रसाद ला0व0 फौत हुये थे उनका समस्त तर्का उनके भाई प्रभूदयाल, प्यारेलाल व रामजीलाल ने प्राप्त किया इस प्रकार विवादित आराजी में वादीगण 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार है। एंव 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 है एंव 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 है इसी हैसियत से मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण को विवादित आराजी के गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण प्रतिवादीगण से मिले एंव उनसे राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने के लिये कहा तो उन्हौने कह दिया कि हमारे पास इतना समय नही है कि हम तहसील के चक्कर लगाये विवादित आराजी में तुम्हारा नाम नही है तो हमारी क्या गलती है यदि तुम्हे अपना नाम सही कराना है तो न्यायालय में कार्यवाही करो हमारी आवश्यकता होगी तो हम चलें जायेगें। प्रतिवादीगण के कहने पर कि वह विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती नही करायेगें आप स्वंय न्यायालय में जाकर कराओं इसलिये वादीगण को लाजमी हो गया है कि विवादित आराजी में स्वंय को 1/3 भाग का खातेदारे काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकॉर्ड में आपने नाम का अंकन कराये एंव विवादित आराजी का अपने हिस्से अनुसार 1/3 भाग का बाई मीट्स एण्ड वाऊन्ड्स बटवारा करायें। वादीगण अपने पूर्व पुरूष स्व0 प्यारेलाल के हिस्से 1/3 भाग पर विवादित आराजी के इन्द्राज को दुरूस्त कराकर स्वंय को खातेदार काश्तकार घोषित करा कर अपने नाम इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है एंव विवादित आराजी में अपने हिस्से 1/3 भाग का बाई मीट्स एण्ड वाऊन्ड्स बटवारा करा पाने के अधिकारी है। वादकारण लगभग दो माह पूर्व वादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी पर अपने नाम का अंकन ना होने की जानकारी होने पर एंव दिनांक 15.03.2018 को वादीगण से प्रतिवादीगण द्वारा दुरूस्ती कराने से इन्कार करने पर मुकाम दौनारी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर में पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है।

अंन्त में निवेदन किया है कि विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाउन्ड्स बटवारा किया जाकर वादीगण को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम का इन्द्राज किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरियें सम्मन तलव किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्रसिह परमार एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड वाऊन्ड्स बटवारा कराने पर सहमति जाहिर कर निवेदन किया। ।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहुपक्षीय बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो साक्ष्य एंव दस्तावेजो का अवलोकन किया इससे हम पूर्णतय सहमत है तथा वादीगण को विवादित आराजी में 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घेषित करना उचित समझते है।

आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादीगण को विवादित आराजी में 1/3 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा तदनुसार ही वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दुरस्ती करते हुये वादी का नाम 1/3 भाग पर बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

हरीसिंह लम्बोरा
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ